पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1171
दिनांक-15.07.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-चौक लखनऊ

➢ **थाना चौक पुलिस टीम के द्वारा बच्चा चोरी करने वाले 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.07.2026 को वादी मुकदमा द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 13.07.2026 को समय रात्रि करीब 2:30 नेशनल मेडिकल के बरामदे के पास थाना चौक लखनऊ से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी 1.5 वर्ष की बेटी का अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना चौक लखनऊ में मु0अ0सं0- 0149/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत करते हुए वादी की पुत्री को खोजने हेतु तत्काल टीम का गठन किया गया।

पुलिस की सक्रियता को देखते हुए अभियुक्तगणों द्वारा बच्ची को दिनांक 13.07.2026 को मछली मंडी थाना आलमबाग में छोड़ गये थे जिसे पुलिस द्वारा उसके माता पिता को सौंप दिया गया था। घटना में सम्मिलित अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु गठित टीम द्वारा लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों को देखा गया तथा सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयास से अभियुक्तों की पहचान सुनिश्चित की गई।

उक्त प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं अभि0गण की तलाश सुरागरसी पतारसी के क्रम में उक्त मुकदमें में प्रकाश में आये अभियुतक्तगण उपरोक्त को आज दिनांक 15.07.2026 समय समय 08.45 को गुलजार नगर से भूसामण्डी चौराहा होकर मालवीय नगर मोड़ के पास थाना बाजारखाला लखनऊ से गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि शेरसिंह नि0 जनपद हरदोई को एक बच्चे की आवश्यकता थी जिसकी चर्चा उसने अपने निकट सम्बन्धी डॉ0 श्यामजी यादव से की। श्यामजी द्वारा मो0 सुल्तान के माध्यम से बच्चा उपब्ध कराये जाने हेतु घटना की साजिश रची जिसके तहत 13.07.2026 को रात्रि में रिशभ, रोहित, महेश तथा इरशाद द्वारा बच्ची को घटना स्थल से उठा लिया। पूछताछ से आगे जानकारी हुई की बच्चे की उम्र कुछ अधिक होने के कारण शेरसिंह ने बच्चे को लेने से इनकार कर दिया, अभियुक्तगणों द्वारा मछली मंडी मवैया थाना आलमबाग में छोड़कर लापता हो गये थे। घटना में शामिल अभियुक्तों व सम्बन्धित के मोबाइल नम्बरों व पूछताछ से प्राप्त जानकारी के आधार पर गहनता से छानबीन की जा रही है तथा शेष अभियुक्तों की गिफ्तारी के लिए प्रयास जारी है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01-ऋषभ कश्यप पुत्र स्व0 दिलीप कश्यप नि0-मछली मण्डी गुलजारनगर थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष
02-रोहित पासी उर्फ जादू पुत्र कैलाश पासी नि0 मछली मण्डी झौपड़पट्टी थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष
03-मो0 सुल्तान पुत्र मोहम्मद साबिर निवासी 268/521 मवैया नेहरू नगर थाना नाका लखनऊ उम्र 27 वर्ष
04-मो0 इरशाद शाह पुत्र स्व0 शकील अहमद नि0-268/568 गुलजारनगर थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र 25 वर्ष
05-श्याम जी यादव पुत्र राम चंद्र यादव नि0-मुजफ्फर नगर चौधरी खेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष
(अभियुक्तो के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।)

03-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

1.मु0अ0सं0- 149/2026 धारा 137(2)/3(5)/143(4)/61(2)(क) बीएनएस थाना चौक लखनऊ

04-वांछित अभियुक्तगण

1. शेर सिंह पुत्र अज्ञात
2. महेश पुत्र अज्ञात

05-बरामदी का विवरण-

अपहृत बच्ची 18 माह व 04 अदद मोबाईल

1. एक मोबाईल फोन कम्पनी वीवो जिसका IMEI No.867125083266384, 867125083266392
2. मोबाईल फोन कम्पनी जियो भारत बारंग नीला काला आई.एम.ई.आई. नम्बर 3566 088 78057 678
3. एक अदद मोबाईल फोन मोटोरोला कम्पनी आई.एम.ई.आई 3583 1014 065 3313
4. एक अदद मोबाईल ओप्पो

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

पुलिस टीम थाना चौक	**क्राइम टीम पश्चिमी जोन**
1.प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय।	1.उ0नि0 अंकित कुमार
2. व0उ0नि0 अखिलेश कुमार मिश्र।	2.हे0का0 मो0शमीम
3. उ0नि0 जयकृष्ण द्विवेदी, चौकी प्रभारी चौक	3.हे0का0 वीर सिंह
4. उ0नि0 दीपांकर शर्मा।	4.हे0का0 प्रदीप तिवारी
5. उ0नि0 बृजपाल सिंह चौकी नक्खास।	5.का0 आशीष
6. उ0नि0 विनीत कुमार चौकी प्रभारी पाटानाला	
7. उ0नि0 नारायण वर्माचौकी प्रभारी यहियागंज	
8. उ0नि0 राहुल मिश्रा	
9. आरक्षी प्रदीप बिंद	
10. आरक्षी रमेश यादव,	
11. आरक्षी रोहित यादव,	

नोटः श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय पश्चिमी द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 15 हजार रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1173

दिनांक-15.05.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-दुबग्गा

- **थाना दुबग्गा पुलिस टीम द्वारा चोरी की वारदातों का सफल अनावरण, 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 400 मीटर चोरी का विद्युत तार एवं 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद**

01-कार्यवाही विवरण-

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के पश्चिमी जोन अंतर्गत **कोतवाली दुबग्गा पुलिस** ने चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए **02 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया है। पुलिस टीम ने अभियुक्तों के कब्जे से **400 मीटर चोरी का विद्युत तार (02 बंडल)** तथा **एक चोरी की मोटरसाइकिल संख्या UP 78 HB 3457** बरामद की है।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली दुबग्गा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त 01-**सज्जाद उर्फ बंगाली** पुत्र नूर मोहम्मद निवासी रिधौली थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा हालपता किराये का मकान महीपतमऊ न्यू कालोनी थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष **2. साजिद** पुत्र स्व0 साबिर निवासी ग्राम लहरपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर हालपता फिरदौस कालोनी किराये का मकान थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने माह फरवरी में महिपतमऊ स्थित रीवा अस्पताल के पास निर्माणाधीन मकान का ताला तोड़कर विद्युत तार चोरी किया था। इसके अतिरिक्त, गत सप्ताह थाना चिनहट क्षेत्र की एक कॉलोनी में मकान का ताला तोड़कर मोटरसाइकिल, सोने-चांदी के आभूषण एवं मोबाइल फोन चोरी किए थे। अभियुक्तों द्वारा चोरी किए गए आभूषण एवं मोबाइल राह चलते व्यक्तियों को बेच दिए जाने की जानकारी दी गई।

जांच में ज्ञात हुआ कि उक्त घटनाओं के संबंध में **कोतवाली दुबग्गा** पर **मु0अ0सं0 0074/2026** एवं **थाना चिनहट** पर **मु0अ0सं0 379/2026** पूर्व से पंजीकृत हैं। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर **मु0अ0सं0 0217/2026 धारा 317(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया है थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0074/2026 मे धारा 317(2)/331(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों में **सज्जाद उर्फ बंगाली** एक **शातिर एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधी** है, जिसके विरुद्ध लखनऊ के विभिन्न थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर अपराधों के **14 आपराधिक मुकदमे** दर्ज हैं। वहीं अभियुक्त **साजिद** के विरुद्ध भी पूर्व से **02 आपराधिक मुकदमे** पंजीकृत हैं।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

01-**सज्जाद उर्फ बंगाली** पुत्र नूर मोहम्मद निवासी रिधौली थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा हालपता किराये का मकान महीपतमऊ न्यू कालोनी थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष

2. साजिद पुत्र स्व0 साबिर निवासी ग्राम लहरपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर हालपता फिरदौस कालोनी किराये का मकान थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 0074/2026 मे धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
2. मु0अ0सं0 0217/2026 धारा 317(2) बीएनएस कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
3. मु0अ0सं0 379/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ

05-अभियुक्त सज्जाद उर्फ बंगाली उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0606/2022 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना पारा लखनऊ
2. मु0अ0सं0 0876/2022 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना चिनहट लखनऊ
3. मु0अ0सं0 0009/2023 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सादतगंज लखनऊ
4. मु0अ0सं0 0024/2023 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सादतगंज लखनऊ
5. मु0अ0सं0 0026/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सादतगंज लखनऊ
6. मु0अ0सं0 0043/2023 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सरोजनीनगर लखनऊ
7. मु0अ0सं0 0464/2021 धारा 341/363/366/368/376ए/506 भा0द0वि0 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)द,ध व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट थाना ठाकुरगंज लखनऊ
8. मु0अ0सं0 0648/2021 धारा 323/427/504/506 भा0द0वि0 थाना ठाकुरगंज लखनऊ
9. मु0अ0सं0 0579/2022 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना ठाकुरगंज लखनऊ
10. मु0अ0सं0 0060/2023 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना ठाकुरगंज लखनऊ
11. मु0अ0सं0 0070/2023 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना ठाकुरगंज लखनऊ
12. मु0अ0सं0 0087/2023 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना ठाकुरगंज लखनऊ
13. मु0अ0सं0 0164/2026 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ
14. मु0अ0सं0 0396/2026 धारा 115(2)/131/351(3) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ

06-अभियुक्त साजिद उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0286/2021 धारा 323/452/498ए/504/506 भा0द0वि0 थाना सतरिखा जिला बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 0313/2019 धारा 454/380/411 भा0द0वि0 थाना मडियाँव लखनऊ

07-बरामदगी:-

1. 02 बंडल चोरी का तार लंबाई 400 मीटर व
2. 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल संख्या UP 78 HB 3457

08-गिरफ्तारी करने वाली टीम पुलिस—

1. प्रभारी निरीक्षक श्रीकान्त राय कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
2. उ0नि0 लवकुश कुमार कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
3. उ0नि0 देवेन्द्र यादव कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
4. का0 अंकित चपराना कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
5. का0 देवेन्द्र यादव कोतवाली दुबग्गा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1176
दिनांक-15.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा एटीएम मशीन तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद।**

01-कार्यवाही

पुलिस आयुक्त लखनऊ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गुडम्बा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना गुडम्बा पुलिस ने एसबीआई एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखी धनराशि चोरी करने का प्रयास करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से **01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद पेचकस, 01 अदद प्लास एवं 01 अदद आरी ब्लेड** बरामद किए गए हैं।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **12.07.2026** को थाना गुडम्बा क्षेत्र स्थित **राम धर्म कांटे के पास एसबीआई एटीएम** में अज्ञात व्यक्ति द्वारा एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखी धनराशि चोरी करने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में थाना गुडम्बा पर **मु0अ0सं0 272/2026** अंतर्गत धारा **303(2)/324(4)/62 बीएनएस** के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान बैंक के कंट्रोल रूम से प्राप्त लगभग **05 सेकण्ड की सीसीटीवी फुटेज** का विश्लेषण किया गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति सफेद टी-शर्ट एवं गले में सफेद गमछा पहने एटीएम कक्ष में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर पहचान सुनिश्चित होने के बाद पुलिस टीम द्वारा पतारसी, सुरागरसी एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक **14.07.2026** को सेक्टर-जे पुलिस चौकी के आगे से अभियुक्त **मो० निहाल पुत्र अली अहमद** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 01 अदद पेचकस, 01 अदद प्लास एवं 01 अदद आरी ब्लेड बरामद किए गए। बरामदगी एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न की गई तथा अभियुक्त के कब्जे से बरामद **अवैध तमंचा एवं कारतूस** के संबंध में कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत न किए जाने पर मुकदमे में **धारा 3/25 आयुध अधिनियम** की बढ़ोत्तरी की गई है।

अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

03-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एटीएम मशीन को **पेचकस, प्लास एवं आरी ब्लेड** की सहायता से तोड़कर उसमें रखी धनराशि चोरी करने का प्रयास किया था। मशीन से तेज आवाज आने पर पकड़े जाने के भय से वह मौके से फरार हो गया था।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 272/2026 धारा 303(2)/324(4)/62 बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम थाना गुडम्बा लखनऊ

05-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1. मो० निहाल पुत्र अली अहमद, निवासी ग्राम भदेवा, थाना थानगांव, जनपद सीतापुर, हाल पता कल्याणपुर दारू की भट्ठी के पास, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 22 वर्ष।

06-बरामदगी

- 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर।
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
- 01 अदद पेचकस।
- 01 अदद प्लास।
- 01 अदद आरी ब्लेड।

07-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री सौरव सिंह
3. उ0नि0 श्री यशपाल सिंह
4. उ0नि0 श्री हरिशम्भू सिंह
5. हे0का0 कृष्ण चौधरी
6. का0 राहुल कुमार
7. का0 रवेन्द्र पाल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1177
दिनांक-15.07.2026

जोन-दक्षिणी/ थाना-बन्थरा

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एंव अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा थाना बन्थरा पर पंजीकृत अभियोग में 02 अभियुक्तों को अन्तर्गत धारा 363/366A/376D(B) भादवि0 एवं 5/6 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए, कठोर आजीवन कारावास व 65,000/- रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया

01-कार्यवाहीः-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एंव मुख्यालय के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा के पर्यक्षेपण में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर कमिश्नरेट लखनऊ के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष श्री राणा राजेश कुमार के नेतृत्व में कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन कार्यालय तथा थाना स्थानीय के पैरोकार का0 अजय प्रताप सिंह के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना स्थानीय से सजा कराये जाने हेतु अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक-14.07.2026,सम्बन्धित वाद सं0-63/2023, मु0अ0सं0-343/2022,धारा-363/366A/376D(B) भादवि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना बन्थरा लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्तगण, **1.रामेश्वर रावत पुत्र स्व0 पुत्तीलाल, 02.अनुज रावत पुत्र सत्य नारायण** निवासीगण खाण्डेदेव थाना बन्थरा लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए धारा 363/366A/376D(B) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध किया गया। **कठोर आजीवन कारावास एंव 65,000/- रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया।** अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी हुई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

02-अभियुक्त का नाम व पताः-

01. रामेश्वर रावत पुत्र स्व0 पुत्तीलाल उम्र 28 वर्ष, निवासी खाण्डेदेव थाना बन्थरा लखनऊ।

02. अनुज रावत पुत्र सत्य नारायण उम्र 21 वर्ष, निवासी खाण्डेदेव थाना बन्थरा लखनऊ।

03-घटना का विवरणः-

अभियुक्तगणों द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करना।

04-फैसलाः-

वाद सं0-63/2023,मु0अ0सं0-343/2022,धारा-363/366A/376D(B) भादवि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना बन्थरा लखनऊ से संबंधित अभियुक्तगण, 1.रामेश्वर रावत पुत्र स्व0 पुत्तीलाल 02.अनुज रावत पुत्र सत्य नारायण निवासीगण खाण्डेदेव थाना बन्थरा लखनऊ को कठोर आजीवन कारावास एंव 65,000/- रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष 05 माह का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी हुई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

05-पैरवीकर्ताः-

1. श्री राणा राजेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना बन्थरा लखनऊ।
2. का0 अजय प्रताप सिंह थाना बन्थरा लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1174
दिनांक-15.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

थाना पीजीआई द्वारा बताया गया नाबालिग से दुर्व्यवहार करने वाला 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-कार्यवाही :-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) रल्लापल्ली वंसथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पीजीआई सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में नाबालिग से दुर्व्यवहार करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.07.2026 को वादी मुकदमा नि0 SGPGI चरन भट्ठा रोड थाना पी0जी0आई लखनऊ की लिखित तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 374/2026 धारा 74/352 बीएनएस व 9(m)/10 पाक्सो एक्ट थाना पीजीआई लखनऊ, बावत एक नामित अभियुक्त शनी s/o ललित जिसके द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को अकेला पाकर उसके साथ अभद्रता व दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय से टीम गठित की गयी। जिसमें उ0नि0 अखण्ड शुक्ला मय हमराह का0 हुकुमचन्द व का0 सन्दीप कुमार थाना हाजा से गिरफ्तारी व पतारसी सुरागरसी में क्षेत्र में मामूर थे तभी मुखबिर खास की सूचना से नामजद अभियुक्त शनि भारती पुत्र ललित कुमार निवासी मूल पता बैरी सालपुर थाना मोहनलालगंज लखनऊ हाल पता– पंचम खेडा चरण भट्ठा रोड थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष को चरण भट्ठा रोड से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

03- पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं पडोस में रहने वाली बच्ची को अपने साथ खेलने के लिये छत पर ले गया था।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शनि भारती पुत्र ललित कुमार निवासी मूल पता बैरी सालपुर थाना मोहनलालगंज लखनऊ हाल पता-पंचम खेडा चरण भट्ठा रोड थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1172
दिनांक - 15.07.2026

क्राइम

Operation Ethanol Shield

जांच में फ्यूल चोरी एवं अपमिश्रण गिरोह के अत्याधुनिक तौर-तरीकों का खुलासा

Lucknow Police Crime Branch द्वारा संचालित "Operation Ethanol Shield" के अंतर्गत पेट्रोल-डीजल में अवैध अपमिश्रण, ईंधन चोरी एवं कालाबाजारी में संलिप्त संगठित गिरोह के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान न केवल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, अपमिश्रित ईंधन, साल्वेंट एवं अन्य उपकरण बरामद किए गए, बल्कि जांच एवं पूछताछ में इस संगठित गिरोह द्वारा अपनाए जा रहे अत्याधुनिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक तौर-तरीकों का भी खुलासा हुआ है।

01-संक्षिप्त विवरण-

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इथेनॉल मिश्रित (Ethanol Blended) पेट्रोल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विगत कुछ समय से सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर भ्रामक एवं तथ्यहीन प्रचार किया जा रहा था तथा वाहनों में आने वाली तकनीकी समस्याओं का कारण इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बताया जा रहा था।

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत Lucknow Police द्वारा विषय का गंभीरता से परीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया यह संभावना सामने आई कि कहीं वाहनों में उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के पीछे पेट्रोल एवं डीजल में अवैध अपमिश्रण, ईंधन चोरी अथवा अवैध खरीद-फरोख्त जैसे संगठित आपराधिक कृत्य तो जिम्मेदार नहीं हैं।

इसी उद्देश्य से "Operation Ethanol Shield" प्रारम्भ किया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की Crime Branch की टीम द्वारा जनपद लखनऊ में पेट्रोल-डीजल की चोरी, अवैध भंडारण, अपमिश्रण एवं कालाबाजारी से जुड़े संगठित नेटवर्क के संबंध में व्यापक सूचना संकलन, तकनीकी विश्लेषण एवं सत्यापन किया गया।

02-कार्रवाई-

विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की Crime Branch की विशेष टीम द्वारा थाना मलिहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत सन्यासी बाग फ्लाईओवर के निकट योजनाबद्ध कार्रवाई की गई। मौके पर एक फ्यूल टैंकर एवं एक अन्य वाहन संदिग्ध अवस्था में पाए गए।

प्रारंभिक जांच में ज्ञात हुआ कि उक्त टैंकर HPCL अमौसी टर्मिनल से निर्धारित पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल एवं डीजल लेकर निकला था, किंतु रास्ते में निर्धारित मात्रा में ईंधन निकालकर उसकी अवैध बिक्री एवं अपमिश्रण किया जा रहा था। आबकारी विभाग की टीम को तत्काल मौके पर बुलाकर संयुक्त परीक्षण कराया गया, जिसमें अवैध भंडारण एवं अपमिश्रण की पुष्टि हुई।

कार्रवाई के दौरान—

- 7750 लीटर पेट्रोल
- 4000 लीटर डीजल
- लगभग 1150 लीटर अपमिश्रित पेट्रोल
- लगभग 3200 लीटर साल्वेंट

- टैंकर के पाइप एवं द्वितीय चैम्बर से लगभग 250 लीटर पेट्रोल
- मास्टर-की, डिप रॉड, प्लास्टिक पाइप, कीप, मापक एवं अन्य उपकरण बरामद किए गए।

03- जांच में सामने आया नए तथ्य; गिरोह का Modus Operandi-

पूछताछ, डिजिटल एवं तकनीकी विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि यह गिरोह केवल ईंधन चोरी नहीं करता था, बल्कि ऑयल कंपनियों की सुरक्षा प्रणाली, GPS ट्रैकिंग, हाई सिक्योरिटी लॉकिंग सिस्टम तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन कर उनकी कमियों का लाभ उठाते हुए सुनियोजित तरीके से अपराध करता था।

(क)GPS Tracking System को निष्प्रभावी कर चोरी करना प्रत्येक फ्यूल टैंकर डिपो से GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के साथ निर्धारित रूट पर रवाना होता है।

जांच में सामने आया कि गिरोह सामान्यतः अपनी गतिविधियां रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00–06:00 बजे के बीच संचालित करता था, क्योंकि इस अवधि में अधिकांश शहरी पेट्रोल पंप बंद रहते हैं।

पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि टैंकर में स्थापित GPS सेंसर का पावर सोर्स चालक के क्लच के समीप लगा होता है। आरोपी निर्धारित स्थान पर वाहन रोककर GPS सेंसर के पावर सोर्स को अस्थायी रूप से निकाल देते थे, GPS बन्द हो जाता है। तथा कम्पनी के कंट्रोल रूम में वाहन उसी स्थान पर स्थिर दिखाई देता था।

इस दौरान टैंकर को चोरी एवं अपमिश्रण के ठिकानों तक ले जाकर ईंधन निकाला जाता था तथा मिलावट की जाती थी। पूरा कार्य समाप्त होने के बाद आरोपी पुनः उसी स्थान पर लौटकर GPS सक्रिय कर देते थे, जिससे रिकॉर्ड में ऐसा प्रतीत होता था कि वाहन पूरे समय वहीं खड़ा रहा। जांच में यह GPS निगरानी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण तकनीकी कमजोरी के रूप में सामने आया।

(ख) SENSOR BASED HIGH SECURITY LOCKING SYSTEM STERNA PLUS LOCK SYSTEM को किया जा रहा था निष्प्रभावी –

₹70,000 मूल्य के हाई सिक्योरिटी लॉकिंग सिस्टम को भी किया गया बाईपास फ्यूल टैंकरों में लगभग ₹70,000 मूल्य का सेंसर आधारित हाई सिक्योरिटी लॉक लगाया जाता है।

निर्धारित SOP के अनुसार यह लॉक केवल अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक चाबी से ही खुलता है तथा प्रत्येक बार लॉक खुलने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालक के पास OTP आधारित सूचना प्राप्त होती है। जांच में सामने आया कि अभियुक्तों ने विशेष प्रकार की Master Key तैयार कर रखी थी।

इस Master Key के माध्यम से लॉक के सेंसर को एक पतली धातु के तार से अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर बीच रास्ते में ही टैंकर खोल लिया जाता था। ईंधन निकालने एवं अपमिश्रण के बाद पुनः लॉक बंद कर दिया जाता था, जिससे सेंसर पुनः सामान्य रूप से कार्य करने लगता था।

इस पूरी प्रक्रिया में न तो OTP जनरेट होती थी और न ही सिस्टम में किसी प्रकार का अनधिकृत रिकॉर्ड दर्ज होता था। इससे स्पष्ट हुआ कि गिरोह सुरक्षा प्रणाली की तकनीकी कमियों का व्यवस्थित रूप से लाभ उठा रहा था।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किया गया अवैध वितरण नेटवर्क-

जांच में यह भी ज्ञात हुआ कि गिरोह मुख्यतः ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को लक्ष्य बनाता था जहां पेट्रोल पंपों के बीच अधिक दूरी होती है। चोरी किए गए डीजल एवं पेट्रोल की बिक्री स्थानीय किसानों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को की जाती थी, जो ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, कृषि उपकरण एवं दोपहिया वाहनों के संचालन हेतु अपेक्षाकृत कम कीमत पर ईंधन खरीद लेते थे। इस प्रकार गिरोह ने ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी किए गए ईंधन की समानांतर अवैध आपूर्ति श्रृंखला विकसित कर रखी थी।

(घ) Thermal Expansion के वैज्ञानिक सिद्धांत का भी उठाया जा रहा था लाभ-

जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह सामान्यतः रात्रि में सीमित मात्रा में ईंधन निकालता था, जबकि अधिकृत डिलीवरी दिन के समय करता था। पेट्रोल एवं डीजल तापमान बढ़ने पर फैलते (Expand) तथा तापमान कम होने पर सिकुड़ते (Contract) हैं।

आरोपी इसी वैज्ञानिक सिद्धांत का लाभ उठाते हुए रात्रि में लगभग 50 लीटर तक ईंधन निकाल लेते थे तथा दिन में डिलीवरी करते थे, जिससे आयतन में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन के कारण चोरी गई मात्रा का तत्काल पता लगाना कठिन हो जाता था।

04- अभियुक्तों से पूछताछ -

पूछताछ में टैंकर चालक ने स्वीकार किया कि वह डिपो से निर्धारित पेट्रोल पंप के लिए निकलने के बाद रास्ते में ईंधन निकालकर गिरोह के सदस्यों को बेच देता था। गिरोह का मुख्य सरगना विभिन्न टैंकर चालकों से सांठगांठ कर पेट्रोल एवं डीजल खरीदता था तथा उसमें साल्वेंट मिलाकर स्थानीय ग्राहकों को अधिक मूल्य पर बेचकर अवैध लाभ अर्जित करता था। इस कार्य में अन्य सदस्य सक्रिय सहयोग करते थे।

05- चिंताजनक तथ्य-

इस कार्रवाई के दौरान यह अत्यंत चिंताजनक तथ्य सामने आया कि अभियुक्त द्वारा भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों का अवैध भंडारण एक आवासीय भवन के बेसमेंट में किया जा रहा था, जबकि अभियुक्त स्वयं अपने परिवार के साथ उसी भवन की ऊपरी मंजिल पर निवास कर रहा था।

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि बेसमेंट में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों की तीव्र गंध फैली हुई थी। इस प्रकार का अवैध भंडारण न केवल कानून का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गंभीर अग्नि एवं जन सुरक्षा का खतरा भी उत्पन्न करता है।

पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। विशेषकर गर्मी के मौसम में थोड़ी-सी चिंगारी, विद्युत शॉर्ट-सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से भीषण आग लग सकती है। घनी आबादी वाले या संकरे आवासीय क्षेत्रों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आग तेजी से फैल सकती है तथा फायर ब्रिगेड के समय पर पहुंचने में भी कठिनाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में बड़ी जनहानि एवं संपत्ति की क्षति की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः इस प्रकार के अवैध भंडारण के ऊपर परिवार के साथ रहना एक "टाइम बम" के ऊपर रहने जैसा है।

निष्कर्ष –

Operation Ethanol Shield के दौरान की गई कार्रवाई से न केवल एक संगठित फ्यूल चोरी एवं अपमिश्रण गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, बल्कि जांच में ऐसे महत्वपूर्ण तकनीकी एवं परिचालन संबंधी तथ्य भी सामने आए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि संगठित अपराधी आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणालियों एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों का दुरुपयोग कर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जांच में सामने आए इन निष्कर्षों को संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, नियामक संस्थाओं एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि सुरक्षा प्रोटोकॉल को और अधिक सुदृढ़ बनाकर भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

अपील –

"Lucknow Police आमजन से अपील करती है कि यदि उनके क्षेत्र, गांव या मोहल्ले में पेट्रोल, डीजल अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थों का संदिग्ध अथवा अवैध भंडारण, ईंधन चोरी अथवा अवैध बिक्री की जानकारी हो तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना, डायल-112 अथवा पुलिस के अन्य अधिकृत माध्यमों पर दें।

ऐसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति केवल आर्थिक अपराध ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार, पड़ोसियों एवं पूरे क्षेत्र के लोगों के जीवन को भी गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। समय पर दी गई एक सूचना किसी बड़ी दुर्घटना को रोकने और अनेक लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। -- **श्रीमती किरन यादव (I.P.S.)**"

जारीकर्ता

अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) कार्यालय

पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1175

दिनांक-15.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-सुशान्त गोल्फ सिटी

- **जान से मारने की नियत से फायर करने वाला 01 शातिर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा बरामद।**

01-कार्यवाही विवरणः-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के लिए चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सुशान्त गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में गठित टीमो द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12/13.06.26 की रात्रि को ड्ब्बू सिंह का जन्मदिन मनाने हेतु कुछ युवक वाहन सं0- महिंद्रा XUV300 से जन्नत बार एण्ड रेस्टोरेंट आए थे । पार्टी के दौरान नशे की हालत में सौरभ सिंह व उसके साथी बार-बार डांस करने के लिये डी0जे0 कंसोल पर चढ़ रहे थे, बाउंसर द्वारा मना करने पर गाली गलौज की गई । बाउंसर द्वारा सभी को क्लब के बाहर निकालने पर गेट पर हाथापाई हुई। इसी दौरान सौरभ सिंह ने दौड़कर अपनी स्कॉर्पियो से असलहा निकाल कर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया और मौके से फरार हो गया।

वादी दिलीप कुमार पुत्र राम प्रकाश निवासी जगनपुर, थाना रुरा, जिला कानपुर देहात द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में मु0अ0सं0- 370/2026 धारा 191(2)/352/315(2)/109(1)/351(3)/34 बी0एन0एस0 विपक्षी सौरभ सिंह चौहान व अमन यादव, विनायक यादव, सुधांशु यादव व दो अन्य साथी अज्ञात, के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के नेतृत्व में गठित टीमो द्वारा मौके से ही घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तगण – अमन यादव, विनायक यादव व सुधांशु यादव को हिरासत में लेकर दिनांक 13.06.2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त सौरभ सिंह की तलाश की जा रही थी तदोपरान्त सूचना मिला कि उपरोक्त घटना को कारित करने वाला सरयू इन्कलेव के पीछे रेलवे लाइन के किनारे कही जाने की फिराक मे खड़ा है तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त स्थान पर दबिश देते हुये वांछित अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र श्री महादेव सिंह निवासी सिसेंडी थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 28 वर्ष को 01 अदद अवैध देशी तमन्चा .315 बोर के साथ हिरासत पुलिस लेकर उपरोक्त मुकदमा में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 12/13.06.2026 की रात को मै अपने दोस्तों के साथ में द जन्नत एक्स में पार्टी करने गया था जहाँ पर बार के स्टाफ से कहा सुनी हो गयी थी, जिस पर मैने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टाफ के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी। बार स्टाफ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा था तो मैने अपने दोस्तों के कहने पर उक्त लोगों को मारने के उद्देश्य से इसी तमंचा से फायर किया था । घटना के बाद मेरे दोस्त लोग पकड़े गये थे। और मै मौके से भाग गया था, तब से पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। आज मै अपने दोस्तो से मिलने आया हुआ था कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सौरभ सिंह पुत्र श्री महादेव सिंह निवासी सिसेंडी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ उम्र 28 वर्ष। (प्रापर्टी डीलर)

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 370/2026 धारा 191(2)/352/115(2)/109(1)/351(3)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ।

06-बरामदगी-

- 01 अदद अवैध देशी तमन्चा .315 बोर

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।**